

# कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल-



spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 47/2025

## प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 07.02.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 07.02.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

### \*थाना-बरदह\*

हत्या में शामिल, 50,000/- रुपये का इनामिया अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल/ गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर, 01 खोखा कारतूस .315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 अदद हंडई कार, 02 अदद मोबाइल फोन व 1200/- रुपया नगद बरामद ।

### \*पूर्व की घटना/इतिहास:-\*

दिनांक 09.02.24 को वादी चन्देलाल यादव S/O मुन्नीलाल यादव निवासी ग्रा0-सोनहरा थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि कल दिनांक 08/02/24 को वादी के बड़े पिता जी के लड़के रणविजय यादव S/O स्व0 रामखेलावन उम्र करीब 50 वर्ष जो अपने बुलेट मोटर साइकिल से मार्टिनगंज बाजार से सब्जी लेकर घर की तरफ आ रहे थे कि नरेन्द्र सिंह के ईंट भट्टा के बगल में लालचन्द राजभर की बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान के सामने पहुँचे ही थे, जहाँ पहले से पूर्व योजना के तहत पुरानी रंजिश वश हत्या करने के इरादे से वादी के गाँव के ही महेन्द्र यादव S/O स्व0 रामहित यादव, वीरेन्द्र यादव S/O रामगनी यादव, फुर्ती लाल यादव S/O रामदुलार यादव, सुरेश यादव S/O स्व0 गनेश यादव, रामगनी यादव S/O स्व0 मंगरू यादव व छोटेलाल यादव S/O श्रीपत यादव समस्त निवासीगण ग्रा0 सोनहरा, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के भाई रणविजय यादव की गाड़ी रोककर असलहों से उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग किया गया, जिससे रणविजय की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। वादी का कहना है कि उसे पूर्ण विश्वास है कि वादी के भाई की हत्या शर्मिला W/O स्व0 अनिल ग्रा0-सोनहरा ने साजिश रचकर करवाई है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 45/24 धारा 302/120 बी भा0द0वि0 बनाम अभियुक्तों

1. महेन्द्र यादव पुत्र स्व0 रामहित यादव निवासी ग्रा0-सोनहरा थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
2. विरेन्द्र यादव पुत्र रामगनी यादव निवासी ग्रा0-सोनहरा थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
3. फुर्तीलाल यादव पुत्र रामदुलार यादव निवासी ग्रा0-सोनहरा थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
4. सुरेश यादव पुत्र स्व0 गनेश यादव निवासी ग्रा0-सोनहरा थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
5. रामगनी यादव पुत्र स्व0 मंगरू यादव निवासी ग्रा0-सोनहरा थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
6. छोटेलाल यादव पुत्र श्रीपत यादव निवासी ग्राम सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़
7. शर्मिला पत्नी स्व0 अनिल निवासी ग्रा0-सोनहरा थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 13.02.24 को अभियुक्तों 1. महेन्द्र यादव पुत्र स्व0 रामहित यादव 2. विरेन्द्र यादव पुत्र रामगनी यादव 3. फुर्तीलाल यादव पुत्र रामदुलार यादव 4. सुरेश यादव पुत्र स्व0 गनेश यादव 5. रामगनी यादव पुत्र स्व0 मंगरू यादव 6. छोटेलाल यादव पुत्र श्रीपत यादव समस्त निवासीगण ग्राम सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को पूर्व में ही गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा चुका है। घटना में प्रयुक्त तमंचा के बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्तों 1. हेरेन्द्र यादव पुत्र खदेरन निवासी ओरिल गडवा थाना पवई जनपद आजमगढ़ 2. संजय यादव पुत्र झिनकू यादव निवासी खन्जहा थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ 3. राजेन्द्र यादव पुत्र मिठाई लाल निवासी सोहौली थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ 4. दीपचन्द्र निषाद उर्फ दीपू उर्फ सिपाही पुत्र सन्ता निषाद निवासी ग्राम गहजी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 5. आशीष पुत्र अज्ञात निवासी बिहार का नाम प्रकाश में आया। जिसकी विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 34 भादवि की बढोत्तरी की व अभियुक्तों 1. हेरेन्द्र यादव पुत्र खदेरन 2. संजय यादव पुत्र झिनकू यादव 3. दीपचन्द्र निषाद उर्फ दीपू उर्फ सिपाही पुत्र सन्ता निषाद 04. राजेन्द्र यादव पुत्र मिठाई लाल निवासी सोहौली थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ व अभियुक्ता शर्मिला पत्नी स्व0 अनिल निवासी ग्रा0-सोनहरा थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा चुका है। अभियुक्त आशीष पुत्र अज्ञात निवासी बिहार जो की घटना उपरोक्त में एक शूटर का काम

किया था वो अभी भी फरार चल रहा है, जिसके ऊपर श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ द्वारा 50,000 रूपये का इनाम घोषित किया गया था। विवेचना के क्रम में-

### **गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-\***

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री हेमराज मीना के कुशल निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल के नेतृत्व में आज दिनांक 07.02.2025 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त आशीष उर्फ छोटू पुत्र स्व० मदन राम उर्फ राम जी राउत निवासी विक्रमगंज धनगाई थाना विक्रमगंज जनपद रोहतास (बिहार) को पुलिस मुठभेड के दौरान कोदहरा चौराहे से कुछ दूरी पर समय करीब सुबह 04.28 बजे पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार किया गया, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक हुंडई कार, एक अदद तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस तथा 02 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया।

### **\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-\***

**\*आशीष उर्फ छोटू पुत्र स्व० मदन राम उर्फ राम जी राउत निवासी विक्रमगंज धनगाई थाना विक्रमगंज जनपद रोहतास (बिहार) 50,000 हजार का इनामिया अभियुक्त\***

1. मु०अ०सं० 45/2024 धारा 34/302/120बी भा०द०वि० व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़
2. मु०अ०सं० 38/25 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

### **\*पंजीकृत अभियोग:-\***

01. मु०अ०सं० 38/25 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

### **\*बरामदगी का विवरण:-\***

1. हत्या की घटना से मिले पैसे से खरीदा हुंडई कार नं० JH05BC2140
2. एक देशी तमंचा 315 बोर
3. एक खोखा कारतूस 315 बोर
4. दो जिन्दा कारतूस 315 बोर
5. अभियुक्त के पास से नकद कुल 1200/- रूपये
6. दो मोबाइल फोन।

### **\*गिरफ्तारी करने वाली टीम:-\***

1. थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह थाना बरदह, आजमगढ़
2. उ०नि० मनीष सिंह थाना बरदह, आजमगढ़
3. उ०नि० उमेशचन्द्र यादव थाना बरदह, आजमगढ़
4. व०उ०नि० सुरेशचन्द्र मिश्रा थाना बरदह, आजमगढ़
5. का० आशुतोष कुमार थाना बरदह, आजमगढ़
6. का० राजेन्द्र कुशवाहा थाना बरदह, आजमगढ़
7. का० संदीप यादव थाना बरदह, आजमगढ़
8. हे०का० बिहंगल यादव थाना बरदह, आजमगढ़
9. का० त्रिलोकनाथ पाण्डेय थाना बरदह, आजमगढ़
10. का० सतिभान सिंह थाना बरदह, आजमगढ़
11. हे०का० बच्चेलाल थाना बरदह, आजमगढ़

### **\*गिरफ्तारी के सम्बन्ध में पूर्व में इनाम घोषित करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई है कि नहीं:-\***

रुपया 50000/- (पचास हजार रुपया) का इनामिया



